भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2099
10 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नेत्र अस्पताल

2099. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नेत्र के कितने अस्पतालों का संचालन हो रहा है;

(ख) क्या इन अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों और उससे संबद्ध अस्पतालों में आधुनिक नेत्र उपचार सहित पर्याप्त बुनियादी सुविधा का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को नेत्र अस्पतालों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा नेत्र चिकित्सालयों की सुविधा में सुधार करने के लिए समय पर नेत्रदान और इसके प्रत्यारोपण सहित देश में नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की "दृष्टिहीनता तथा दृष्टि विकलांगता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीसीबीवीआई) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत आईकेयर हॉस्पिटल्स, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफथेलमोलॉजी (आरआईओ) तथा केंद्रीय सरकार के अन्य

अस्पतालों में विशिष्ट नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनके अलावा, नेत्र परिचर्या अस्पताल राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, एनजीओ द्वारा तथा निजी क्षेत्र में भी स्थापित किए जाते हैं। इस संबंध में पूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा अस्पतालों की संख्या के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है। डॉ राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान केंद्र, एम्स नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2020 में तैयार की गई 'विज़न एटलस' संबंधी उपलब्ध डाटा का विवरण **अनुलग्नक-II** में है। कुछ राज्यों ने नेत्र अस्पतालों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी की सूचना दी है।

जहां तक केंद्रीय सरकार के अस्पतालों तथा इसके सहयोजित अस्पतालों जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) शामिल हैं, का संबंध है, उनके पास पर्याप्त मूल सुविधाएं तथा उन्नत नेत्र उपचार के लिए सुविधा-केंद्र भी हैं। एनपीसीबीवीआई के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अभिचिन्हित उपकरणों तथा आरआईओ और केंद्रीय सरकार के नेत्र अस्पतालों में माड्यूलर नेत्र-ओटी के लिए निधियां प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में नेत्र-वार्ड को सुदृढ़ करने के लिए निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): सरकार ने नेत्र-अस्पतालों में सुविधा में सुधार करने, नेत्रों के समय पर सुधार करने और प्रत्यारोपण और देश में नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1) केंद्रीय सरकार नेत्र-विज्ञान की विभिन्न विशिष्टताओं में उत्कृष्टता-केंद्र (सीओई) बनाने के लिए क्षेत्रीय नेत्र-विज्ञान संस्थानों को और आरआईओ का उन्नयन करने के लिए तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला-अस्पताल, उप-जिला-अस्पताल, दृष्टि केंद्रों जैसे अन्य भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2) राज्यों के जिला अस्पतालों में समर्पित (डेडिकेटेड) नेत्र-वार्डों तथा नेत्र-ऑपरेशन-थियेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
3) कोरनिया संकलन तथा नेत्र-बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए नेत्र बैंकों तथा नेत्र-दान केंद्रों को सहायता।
4) कुशल नेत्र बैंकिंग पद्धति के लिए, एक तीन स्तरीय संगठन संरचना का पालन किया जाता है। पिरामिड के शीर्ष पर नेत्र बैंकों के अनुसरण में नेत्र बैंक प्रशिक्षण केंद्र है और पिरामिड के बेस पर नेत्र-सुधार/दान केंद्र।
5) एनपीसीबीवीआई के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का पैटर्न **अनुलग्नक-III** पर संलग्न है।

अनुलग्नक-I

देश में नेत्र-अस्पतालों (सरकारी अथवा निजी क्षेत्र) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेत्र अस्पतालों की संख्या		
		क्षेत्रीय नेत्र-विज्ञान संस्थान (आरआईओ)	जिला अस्पतालों के साथ सरकारी क्षेत्र	निजी/एनजीओ क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	0	72	423
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	08	एनआर
3.	असम	01	30	एनआर
4.	बिहार	01	66	एनआर
5.	छत्तीसगढ	01	35	94
6.	चंडीगढ़	0	03	एनआर
7.	दादरा और नगर हवेली	0	04	06
8.	दमन और दीव	0	एनआर	एनआर
9.	दिल्ली	01	35	एनआर
10.	गोवा	0	04	09
11.	गुजरात	01	88	128
12.	हरियाणा	01	39	279
13.	हिमाचल प्रदेश	0	23	एनआर
14.	जम्मू	0	0	0
15.	कश्मीर	01	एनआर	एनआर
16.	झारखंड	01	14	एनआर
17.	कर्नाटक	01	एनआर	107
18.	केरल	01	60	एनआर
19.	लक्षद्वीप	0	01	0
20.	मध्य प्रदेश	01	0	0
21.	महाराष्ट्र	01	1903	
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	03	0
24.	मिजोरम	0	08	0
25.	नगालैंड	0	0	0
26.	ओडिशा	01	50	84
27.	पुदुच्चेरी	0	06	14
28.	पंजाब	01	एनआर	एनआर
29.	राजस्थान	01	73	0
30.	सिक्किम	0	05	0
31.	तमिलनाडु	01	96	600
32.	तेलंगाना	01	13	56
33.	त्रिपुरा	0	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	02	132	175
35.	उत्तराखंड	0	28	11
36.	पश्चिम बंगाल	01	100	एनआर
	कुल	**20**	**2,899**	**1,986**

एनआर- राज्यों द्वारा सूचना नहीं भेजी गई

राज्य	कुल संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	एनजीओ संस्थान	कुल नेत्र रोग चिकित्सक	पूर्णकालिक नेत्र रोग चिकित्सक	अल्पकालिक नेत्र रोग चिकित्सक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	0	3	0	3
आंध्र प्रदेश	397	46	284	67	950	781	169
अरुणाचल प्रदेश	8	8	0	0	12	12	0
असम	101	38	52	11	330	262	68
बिहार	248	40	171	37	550	380	170
चंडीगढ़	21	3	16	2	116	97	19
छत्तीसगढ़	103	38	59	6	219	187	32
दादरा और नगर हवेली	4	1	3	0	7	7	0
दमन और दीव	1	0	1	0	1	1	0
दिल्ली	249	36	193	20	1085	772	313
गोवा	62	14	48	0	115	68	47
गुजरात	648	57	471	120	1270	975	295
हरियाणा	329	34	251	44	774	515	259
हिमाचल प्रदेश	62	15	40	7	132	105	27
जम्मू और कश्मीर	45	22	22	1	140	120	20
झारखंड	183	22	122	39	405	230	175
कर्नाटक	504	113	340	51	1400	1110	290
केरल	219	46	147	26	700	542	158
लक्षद्वीप	1	1	0	0	2	2	0
लद्दाख	2	2	0	0	2	2	0
मध्य प्रदेश	242	64	150	28	656	509	147
महाराष्ट्र	1360	105	1116	139	3533	2255	1278
मणिपुरी	8	6	1	1	20	17	3
मेघालय	14	9	2	3	27	20	7
मिजोरम	11	8	0	3	25	22	3
नगालैंड	9	6	2	1	9	8	1
उड़ीसा	173	52	87	34	475	351	124
पुडुचेरी	20	3	9	8	184	177	7
पंजाब	324	26	254	44	734	534	200
राजस्थान	424	81	279	64	892	729	163
सिक्किम	6	4	2	0	10	9	1
तमिलनाडु	499	95	340	64	1933	1623	310
तेलंगाना	415	9	385	21	948	707	241
त्रिपुरा	14	9	2	3	27	18	9
उतार प्रदेश	718	109	487	122	1671	1265	406
उत्तराखंड	99	20	61	18	235	182	53
पश्चिम बंगाल	377	87	183	107	1352	779	573
कुल	7901	1230	5580	1091	20944	15373	5571

अनुलग्नक-III

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का पैटर्न

<table>
<tr><td>नेत्र-उपकरणों के रख-रखाव के लिए सहायता-अनुदान</td><td>कार्यक्रम के तहत आपूर्ति किए गए नेत्र के महंगे उपकरणों की दीर्घ-अवधि सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख प्रति जिला की दर से नेत्र-अस्पतालों का रख-रखाव।
(राज्य इस कार्यकलाप को जैव-चिकित्सा उपकरणों के रख-रखाव कार्यक्रम (बीईएमपी) में शामिल करेंगे। तथापि, राज्य बीईएमपी के तहत कार्यकलाप शामिल किए जाने तक मौजूदा प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं)।</td></tr>
<tr><td>एनपीसीबीवीआई (विशिष्ट परिचर्या योजना) के तहत आरआईओ को वित्तीय सहायता</td><td>गत तीन वर्षों के दौरान उत्कृष्टता के 10 केंद्रों (क्षेत्रीय नेत्र-विज्ञान संस्थान) को नेत्र संबंधी उपकरणों की खरीद तथा माड्यूलर नेत्र-ओटी के निर्माण के लिए 20 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सुदृढ़ किया गया है।</td></tr>
<tr><td>जिला-अस्पतालों/उप-जिला अस्पतालों/दृष्टि-केंद्रों के लिए सहायता अनुदान</td><td>सरकारी क्षेत्र में जिला-अस्पतालों/उप-जिला-अस्पतालों/पीएचसी (दृष्टि केंद्रों) को सुदृढ़ करना। (राज्य प्रस्तावों के आधार पर आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>नेत्र बैंकों के लिए सहायता अनुदान</td><td>नेत्र बैंकों को सुदृढ़ करने/विकसित करने की दिशा में उपकरणों तथा साज-सज्जा (फर्निशिंग) करने के लिए 40 लाख रु. प्रति यूनिट तक सार्वजनिक क्षेत्र में नेत्र बैंक। भारत में लगभग 320 नेत्र बैंक क्रियाशील हैं।</td></tr>
<tr><td>नेत्र-दान केंद्रों के लिए सहायता अनुदान</td><td>नेत्र केंद्रों को सुदृढ़ करने/विकसित करने के लिए 1 लाख रु. प्रति यूनिट तक सरकारी क्षेत्र में नेत्र-दान केंद्र।</td></tr>
<tr><td>समर्पित नेत्र यूनिटों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान</td><td>सार्वजनिक क्षेत्र में 100 लाख रु. प्रति यूनिट की दर से सार्वजनिक क्षेत्र में समर्पित नेत्र यूनिट (नेत्र वार्ड तथा नेत्र-ओटी) का निर्माण।</td></tr>
<tr><td>सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्रों में नेत्र-बैंकों को सहायता अनुदान</td><td>संरक्षण करने की सामग्री और मीडिया, परिवहन/पीओएल और आकस्मिक व्ययों सहित उपभोज्य वस्तुओं की लागत को पूरा करने के लिए 2,000/रु. नेत्र के प्रति जोड़े की दर से (नेत्र-बैंक उनसे संलग्न नेत्र-दान केंद्रों को उनके द्वारा 1,000/-रु. प्रति नेत्र-जोड़े की दर से एकत्र किए गए नेत्र के लिए प्रतिपूर्ति करेंगे) नेत्र-बैंक को सहायता अनुदान लौटाएंगे।</td></tr>
<tr><td>एनजीओ तथा प्राइवेट प्रैक्टिशनरों को केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान</td><td>7,500/-रु. की दर से केराटोप्लास्टी
कोरनियल संकलन तथा केराटोप्लास्टी के गत तीन वर्ष के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
<table><tr><th>वर्ष</th><th>दान किए गए नेत्रों का संकलन</th><th>केराटोप्लास्टी</th></tr><tr><td>2018-19</td><td>68409</td><td>26601</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>65417</td><td>31019</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>17402</td><td>11859</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>राज्य/जिले में सूचना शिक्षा संचार</td><td>छोटे राज्यों के लिए 10 लाख रु. की दर से राज्य स्तरीय आईईसी तथा बड़े</td></tr>
</table>

(आईईसी) के लिए सहायता अनुदान	राज्यों के लिए 20 लाख रु. आईईसी कार्यकलाप दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के आईईसी कार्यकलाप के तहत मृत्यु के पश्चात् नेत्र-दान करने के लिए रेडियो और टेलिविज़न मीडिया नेटवर्क पर विज्ञापन। प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच "नेत्र-दान पर राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाना।" इस पखवाड़े के दौरान सभी उपलब्ध मीडिया के माध्यम से नेत्र-दान अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तीव्र प्रचार किया जाता है और लोगों से मृत्यु के बाद नेत्र-दान करने का अनुरोध किया जाता है। इस पखवाड़े का केंद्र बिंदु मेडिकल कॉलेजों और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, सेना, रेलवे, ईएसआई तथा देश की औद्योगिक संस्थापनों में बड़े मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों से संलग्न विभिन्न स्पेशियलिटीज़, अध्यापन-अस्पतालों वाले बड़े अस्पतालों में "अस्पताल सुधार्य कार्यक्रम" आयोजित करके "नेत्रों की शपथ" से "नेत्रों का वास्तविक संकलन" की ओर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

****